खण्ड–497, अंक–4
सोमवार, 07 भाद्रपद, शक संवत् 1938
(29 अगस्त, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2016)

(खण्ड 497 में 7 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार ...	7-11
बरेली आंवला में विधायक निधि से निर्मित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क के तोड़े जाने के प्रकरण को उठाने का प्रयास	11-12
पिक्चर गैलरी में तैल चित्रों का अनावरण कार्यक्रम तथा लंच हेतु एक बजे तक सदन के स्थगन की सूचना	12
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट 2007-2008 (सदन के पटल पर रखी गई)	12
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की छठी वार्षिक रिपोर्ट 2008-2009 (सदन के पटल पर रखी गई)	12
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010 (सदन के पटल पर रखी गई)	12
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011 (सदन के पटल पर रखी गई)	13
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की नवीं वार्षिक रिपोर्ट 2011-2012 (सदन के पटल पर रखी गई)	13
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या-10-2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	13
यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013 (सदन के पटल पर रखी गई)	13
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2012 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	13
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या-09-2016 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	14
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डार निगम के स्थित पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2012-2013 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	14
बरेली आंवला में विधायक निधि से निर्मित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क को तोड़े जाने विषयक विशेषाधिकार हनन की सूचना	14-15
राज्यपाल दीर्घा में उपस्थित पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी एवं श्री सुखदेव राजभर का स्वागत	15

विषय	पृष्ठ-संख्या
बरेली आंवला में विधायक निधि से निर्मित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क को तोड़े जाने विषयक विशेषाधिकार हनन की सूचना	15
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव...	15-16
उत्तर प्रदेश वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)	16
उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)	16-17
बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित) ...	17
राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)	17
बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित) ...	17-18
एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित) ...	18
आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 में प्रस्तुत संशोधनों पर विचार एवं पारण का प्रस्ताव (पारित)	18-37
उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 (पारित)	37-45
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित) ...	45-49

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-317

1. श्री अन्सार अहमद — इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5. अजय, श्री — वाराणसी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीमुल हक पहलवान हाजी — अम्बेडकरनगर
10. अताउररहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
13. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
23. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
26. अराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
27. अरुण कुमार, डा0 — बरेली
28. अरूण वर्मा — सुल्तानपुर
29. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
31. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
34. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
35. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
36. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
37. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
38. *आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
39. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
40. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
41. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
42. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
43. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
44. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
45. आशीष यादव, श्री — बदायूं
46. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री — लखनऊ

---

* उप चुनाव में निर्वाचित।

47. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
48. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
49. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
50. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
51. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
53. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
54. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
55. उदयराज, श्री उन्नाव
56. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
57. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
58. उमाशंकर, श्री बलिया
59. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
60. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
61. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
62. ओम कुमार, श्री बिजनौर
63. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
64. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
65. *कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
66. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
67. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
68. काली चरन सुमन, श्री आगरा
69. किसमतिया, श्रीमती गाजीपुर
70. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
71. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
72. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
73. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
74. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
75. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
76. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
77. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
78. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
79. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
80. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
81. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
82. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
83. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
84. गोमती यादव, श्री लखनऊ
85. गोरख पासवान, श्री बलिया
86. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
87. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
88. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
89. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
90. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
91. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
92. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
93. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
94. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
95. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
96. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
97. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
98. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
99. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
100. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
101. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
102. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
103. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
104. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
105. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन

* उप चुनाव में निर्वाचित।

106. दलजीत सिंह, श्री बांदा
107. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
108. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
109. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
112. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
113. धर्मराज, श्री बाराबंकी
114. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
115. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
116. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
117. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
118. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
119. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
120. नारद राय श्री बलिया
121. नाहिद हसन, श्री शामली
122. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
123. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
124. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
125. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
126. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
127. पीतमराम, श्री पीलीभीत
128. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
129. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
130. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
131. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
132. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
133. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
134. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
135. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
136. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
137. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
138. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
139. फेरन लाल, श्री ललितपुर
140. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
141. बदलू खां, श्री उन्नाव
142. बाबूलाल, श्री गोण्डा
143. बावन सिंह, श्री गोण्डा
144. विमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
145. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
146. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
147. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
148. बैजनाथ, श्री मऊ
149. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
150. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
151. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
152. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
153. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
154. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
155. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
156. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
157. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
158. मनबोध, श्री देवरिया
159. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
160. मनीष रावत, श्री सीतापुर
161. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
162. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
163. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
164. महबूब अली, श्री अमरोहा
165. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
166. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर

167. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
168. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
169. मानपाल सिंह, श्री — कासगंज
170. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
171. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री — बहराइच
172. मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
173. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री — कानुपर नगर
174. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री — बदायूं
175. मुहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
176. मुहम्मद रमजान, श्री — श्रावस्ती
177. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 — बिजनौर
178. मो0 अयूब, डा0 — सन्तकबीर नगर
179. मो0 आसिफ, श्री — फतेहपुर
180. मो0 जासमीर अंसारी, श्री — सीतापुर
181. *मो0 फईम, श्री — मुरादाबाद
182. मो0 मुस्लिम, श्री — अमेठी
183. मो0 रेहान, श्री — लखनऊ
184. मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
185. मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
186. मौ0 अलीम खां, श्री — बुलन्दशहर
187. मौहम्मद इकबाल, श्री — बिजनौर
188. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री — मुरादाबाद
189. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री — आगरा
190. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री — गोण्डा
191. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री — कानपुर नगर
192. रघुराज प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
193. रघुराज सिंह शाक्य, श्री — इटावा
194. रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
195. रणजीत सुमन, श्री — एटा
196. रमेश चन्द बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
197. रवीन्द्र जायसवाल, श्री — वाराणसी
198. रविन्द्र भडाना, श्री — मेरठ
199. राकेश कुमार, श्री — अलीगढ़
200. आर0 के0 वर्मा, डा0 — प्रतापगढ़
201. राकेश प्रताप सिंह, श्री — अमेठी
202. राकेश बाबू, श्री — फिरोजाबाद
203. राजकिशोर सिंह, श्री — बस्ती
204. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री — मैनपुरी
205. राजकुमार रावत, श्री — मथुरा
206. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री — महोबा
207. राजमती, श्रीमती — गोरखपुर
208. राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
209. राजेन्द्र, श्री — गोरखपुर
210. राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
211. राजेश्वरी, श्रीमती — हरदोई
212. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
213. राधे श्याम, श्री — अमेठी
214. राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
215. राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
216. राम करन आर्य, श्री — बस्ती
217. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री — सम्भल
218. रामगोपाल, श्री — बाराबंकी
219. राम गोविन्द, श्री — बलिया
220. रामचन्द्र चौधरी, श्री — सुल्तानपुर
221. राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
222. रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
223. राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
224. राम मगन, श्री — बाराबंकी
225. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
226. रामलाल अकेला, श्री — रायबरेली
227. रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
228. रामबीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
229. राम शरन, श्री — लखीमपुर खीरी
230. रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
231. रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
232. रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत

* उप चुनाव में निर्वाचित।

233. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
234. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
235. रुबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
236. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
237. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
238. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
239. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
240. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
241. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
242. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
243. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
244. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
245. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
246. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
247. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
248. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
249. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
250. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
251. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
252. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
253. विजय सिंह, श्री रामपुर
254. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
255. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
256. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
257. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
258. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
259. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
260. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
261. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
262. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
263. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकर नगर
264. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
265. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
266. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
267. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
268. शाकिर अली, श्री देवरिया
269. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
270. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
271. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
272. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
273. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
274. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
275. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
276. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
277. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
278. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
279. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
280. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
281. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
282. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
283. संजय कपूर, श्री रामपुर
284. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
285. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
286. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
287. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर

288. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
289. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
290. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
291. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
292. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
293. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
294. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
295. सियाराम सागर, डा0 बरेली
296. सीमा, श्रीमती जौनपुर
297. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
298. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
299. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
300. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
301. सुधाकर, श्री मऊ
302. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
303. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
304. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
305. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
306. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
307. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
308. सुरेश राणा, श्री शामली
309. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
310. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
311. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
312. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
313. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
314. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
315. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
316. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
317. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
318. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी) तथा खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम सकल गूर्जर) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री तेजपाल सिंह का 22 जुलाई, 1996 को निधन हो गया। वे लगभग 45 वर्ष के थे। श्री तेजपाल सिंह का जन्म 01 जनवरी, 1951 को ग्राम इस्माईलपुर, जिला बिजनौर में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री तेजपाल सिंह वर्ष 1990 में जनता दल से तथा वर्ष 1993 में निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन क्षेत्र चांदपुर, जिला बिजनौर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री तेजपाल सिंह लायंस क्लब, चांदपुर के सदस्य रहे थे। वे व्यापार मण्डल चांदपुर, बिजनौर के अध्यक्ष भी रहे थे। जनसेवा और जन सम्पर्क में उनकी विशेष रुचि थी। श्री तेजपाल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री मुश्ताक अहमद का 12 फरवरी, 1997 को निधन हो गया। श्री मुश्ताक अहमद वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी उत्तर, जिला वाराणसी से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मुश्ताक अहमद एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मुश्ताक अहमद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह का 07 अक्टूबर, 2002 को निधन हो गया। वे लगभग 39 वर्ष के थे। कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह का जन्म 05 सितम्बर, 1963 को ग्राम सहोड़ा, जिला बरेली में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह वर्ष 1991 तथा 1996 में निर्वाचन क्षेत्र कांवर, जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप केन्द्रीय कारागार, बरेली में बन्दी रहे थे। वे कुंवर ढाकन लाल इण्टर कालेज, सहोड़ा, बरेली के प्रबन्धक तथा किसान जूनियर हाईस्कूल, शीशगढ़, बरेली के अध्यक्ष भी रहे थे। राजनीति एवं कृषि कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा अध्ययन उन्हें प्रिय था। कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री मलखान सिंह सैनी का 28 अक्टूबर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे। श्री मलखान सिंह सैनी का जन्म 2 अगस्त, 1931 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एलएल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मलखान सिंह सैनी वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र थाना भवन, तत्कालीन जिला मुजफ्फरनगर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मलखान सिंह सैनी जिला कांग्रेस कमेटी तथा जिला पिछड़ा वर्ग समिति के महामन्त्री रहे थे। साहित्य, शिक्षा तथा कृषि में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मलखान सिंह सैनी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री वृद्धि नारायण सिंह का 26 जनवरी, 2016 को निधन हो गया। श्री वृद्धि नारायण सिंह वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र ज्ञानपुर, तत्कालीन जिला

वाराणसी से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री वृद्धि नारायण सिंह एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री वृद्धि नारायण सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री धामूराम भास्कर का 10 फरवरी, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे। श्री धामूराम भास्कर का जन्म 13 जुलाई, 1948 को ग्राम सुलतानपुर, जिला फैजाबाद में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री धामूराम भास्कर वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र जहांगीरगंज (अ0जा0), जिला फैजाबाद से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री धामूराम भास्कर बहुजन समाज पार्टी के एक कुशल एवं समर्पित कार्यकर्ता थे। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने एवं न्याय दिलाने में उनकी विशेष रुचि थी तथा गरीबों की भलाई करना उन्हें प्रिय था। श्री धामूराम भास्कर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री विक्रमा राय का 5 मार्च, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री विक्रमा राय का जन्म जनवरी, 1935 में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विक्रमा राय वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र घोसी, तत्कालीन जिला आजमगढ़ से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री विक्रमा राय ने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था। वे एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। शिक्षा एवं कृषि सम्बन्धी कार्यों में उनकी विशेष रूचि थी। श्री विक्रमा राय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री धर्मपाल का 21 मार्च, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 59 वर्ष के थे। श्री धर्मपाल का जन्म 15 जनवरी, 1957 को हापुड़ में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री धर्मपाल वर्ष 2002 तथा 2007 में निर्वाचन क्षेत्र हापुड़ (अ0जा0), तत्कालीन जिला गाजियाबाद से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री धर्मपाल एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रूचि थी तथा संगीत उन्हें प्रिय था। श्री धर्मपाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री हरफूल सिंह का 05 अप्रैल, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री हरफूल सिंह का जन्म 1934 में ग्राम खड़कपुर, जिला सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरफूल सिंह वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र नागल, जिला सहारनपुर से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री हरफूल सिंह राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप सहारनपुर जिला कारागार में बन्दी रहे थे। वे जिला परिषद्, सहारनपुर के उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष रहे थे। राजनीति एवं कृषि कार्य में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरफूल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री अभिमन्यु प्रसाद पाण्डेय का 26 अप्रैल, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री अभिमन्यु प्रसाद पाण्डेय का जन्म 4 जून, 1931 को ग्राम तेतरी बुजुर्ग तप्पा नगवां, तत्कालीन जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अभिमन्यु प्रसाद पाण्डेय वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र नौगढ़, तत्कालीन जिला बस्ती से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री अभिमन्यु प्रसाद पाण्डेय एक कुशल सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे श्री चन्द्रभानु गुप्त मंत्रि-मण्डल में मंत्री रहे थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी, बस्ती के अध्यक्ष भी रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अभिमन्यु प्रसाद पाण्डेय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री यदुनाथ प्रसाद का 27 अप्रैल, 2016 को निधन हो गया। श्री यदुनाथ प्रसाद वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव (अ0जा0) जिला गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री यदुनाथ प्रसाद एक कुशल सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री यदुनाथ प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हंस राज वर्मा का 30 अप्रैल, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री हंस राज वर्मा का जन्म 01 जनवरी, 1941 को हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हंस राज वर्मा वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र निधौली कलां, जिला एटा से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री हंस राज वर्मा रानी अवन्ती बाई इण्टर कालेज, एटा के उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे थे। समाज सुधार सम्बन्धी कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा खेलकूद उन्हें प्रिय थे। श्री हंस राज वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री राम लखन पासी का 15 मई, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 61 वर्ष के थे। श्री राम लखन पासी का जन्म 25 जनवरी, 1955 को हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम लखन पासी वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र जगदीशपुर (अ0जा0), जिला सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम लखन पासी उत्तर प्रदेश पासी जागृति मण्डल, सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष रहे थे। वे श्री कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल में राज्यमंत्री रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम लखन पासी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री राम प्रसाद का 24 मई, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री राम प्रसाद का जन्म 21 फरवरी, 1938 को शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर में हुआ था। श्री राम प्रसाद वर्ष 1991 तथा 1993 में निर्वाचन क्षेत्र शिकारपुर (अ0जा0), जिला बुलन्दशहर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम प्रसाद जाटव सुधार संघ, शिकारपुर, बुलन्दशहर तथा धार्मिक रामलीला समितियों के अध्यक्ष रहे थे। वे सरस्वती शिशु मंदिर तथा सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर के आजीवन सदस्य थे। राजनीतिक कार्यों में

उनकी विशेष रूचि थी तथा अध्ययन उन्हें प्रिय था। श्री राम प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री लाल बहादुर सिंह का 02 जून, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे। श्री लाल बहादुर सिंह का जन्म 05 अक्टूबर, 1946 को ग्राम खूझी, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था। उन्होंने स्नातक एवं एलएल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री लाल बहादुर सिंह वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री लाल बहादुर सिंह राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप प्रतापगढ़ एवं लखनऊ जेल में बन्दी रहे थे। अध्ययन, समाज सेवा तथा देशाटन में उनकी विशेष रूचि थी तथा खेलकूद उन्हें प्रिय थे। श्री लाल बहादुर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' का 07 जून, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री जियाराम शुक्ल का जन्म 26 जनवरी, 1931 को हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जियाराम शुक्ल वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र कटेहरी, तत्कालीन जिला फैजाबाद से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री जियाराम शुक्ल अकबरपुर, जिला फैजाबाद में सहायक अध्यापक के पद पर रहे थे। उन्होंने अनेक कवितायें लिखी थीं। काव्य रचना में उनकी विशेष रुचि थी तथा जनसेवा एवं सांस्कृतिक कार्य उन्हें प्रिय थे। श्री जियाराम शुक्ल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री थम्मन सिंह गहलोत का 18 जून, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। श्री थम्मन सिंह गहलोत का जन्म 01 जुलाई, 1928 को हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री थम्मन सिंह गहलोत वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र अफजलगढ़, जिला बिजनौर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री थम्मन सिंह गहलोत विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप दो बार जेल गये थे। वे जिला सहकारी बैंक, बिजनौर तथा सहकारी गन्ना विकास समिति, धामपुर के संचालक एवं उप सभापति रहे थे। वे शिक्षण संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे थे। पुस्तक अध्ययन एवं भ्रमण में उनकी विशेष रूचि थी तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य उन्हें प्रिय थे। श्री थम्मन सिंह गहलोत के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री रिजवानुर्रहमान किदवाई का 14 अगस्त, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री रिजवानुर्रहमान किदवाई का जन्म 4 जुलाई, 1941 को बाराबंकी जिले में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रिजवानुर्रहमान किदवाई वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र मसौली, जिला बाराबंकी से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रिजवानुर्रहमान किदवाई शफीकुर्रहमान जूनियर हाईस्कूल, बड़ा गांव के संस्थापक तथा कोषाध्यक्ष एवं यू0पी0 को-आपरेटिव बैंक, बाराबंकी के चेयरमैन तथा प्रशासक रहे थे। समाजिक कार्यों तथा गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा करने में उनकी विशेष रुचि थी तथा

खेल-कूद उन्हें प्रिय था। श्री रिजवार्नुरहमान किदवाई के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया।

विधानसभा के इन माननीय पूर्व सदस्यगण के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक सम्वेदनायें मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

अब हम दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सदन में सभी सदस्यों ने अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर मौन धारण किया)

कृपया आसन ग्रहण करें।

[11.15] बरेली आंवला में विधायक निधि से निर्मित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क के तोड़े जाने के प्रकरण को उठाने का प्रयास

(मद संख्या-2 पुकारे जाने पर)

*श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निजी मामला है जो हमसे जुड़ा हुआ है और सदस्य से भी जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक पार्क बनवाया था ऑवला में जो विधायक निधि से निर्मित था वहां के चेयरमैन ने उसको तुड़वा दिया है, हमारा बोर्ड भी हटवा दिया है, मान्यवर, डी0एम0 की अनुमति से उसको बनवाया गया था। मान्यवर, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी।

श्री अध्यक्ष-

इसको बाद में रखियेगा।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने आपको नोटिस भी दिया है। मान्यवर, विधायक निधि आपके द्वारा ही दी जाती है।

श्री अध्यक्ष-

इसे बाद में उठाइयेगा, अभी रुक जाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसको विशेषाधिकार समिति में भेज दें।

श्री अध्यक्ष-

आप इसे लिख करके दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, दे दिया है। यह विशेषाधिकार का मामला है इसलिए इसे विशेषाधिकार समिति में भेज दें।

श्री अध्यक्ष-

लिख करके भेज दें, हम इसका परीक्षण कर लेंगे और जो उचित होगा कार्रवाई करेंगे।

[11.17] पिक्चर गैलरी में तैल चित्रों का अनावरण कार्यक्रम तथा लंच हेतु एक बजे तक सदन के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब 1:00 बजे तक के लिए इस सदन को स्थगित किया जा रहा है। आज उद्घाटन का कार्यक्रम है और आप लोगों के लिए लंच है, नीचे भोजन है दोपहर का इसलिए आप लोग कार्यक्रम में शामिल हों। अपराह्न 1:00 बजे हम पुनः बैठेंगे।

(अपराह्न 1.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट 2007-2008†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट 2007-2008 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की छठी वार्षिक रिपोर्ट 2008-2009†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की छठीं वार्षिक रिपोर्ट 2008-2009 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की नवीं वार्षिक रिपोर्ट 2011-2012†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की नवीं वार्षिक रिपोर्ट 2011-2012 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या-10-2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-10-2014 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2012 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2012 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†† छापा नहीं गया।

† छापी नहीं गई।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या-09-2016 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-09-2016 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डार निगम के स्थित पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2012-2013††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2012-2013 को दि वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 की धारा-31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 24 अगस्त, 2016 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 अगस्त, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

[01.07] बरेली आंवला में विधायक निधि से निर्मित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क को तोड़े जाने विषयक विशेषाधिकार हनन की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13, 14 में कुछ नहीं है।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

एक सेकेन्ड कार्य मंत्रणा का बता दूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, विशेषाधिकार का मद आया है, उसमें इन्होंने सूचना दी है।

---

†† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बतायें।

राज्यपाल दीर्घा में उपस्थित पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी एवं श्री सुखदेव राजभर का स्वागत

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

एक मिनट रुक जायेंगे। मान्यवर, आज का दिन बड़े सौभाग्य का दिन है और आज जिस तरह से फोटोग्राफ्स की गैलरी का अनावरण हुआ है उसके लिये हम सब अपने आप को और सदन को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उसी के साथ वैसे तो देखना उधर जुर्म है, लेकिन जब ऐसा व्यक्तित्व बैठा हो तो फिर जुर्म को भी जुर्म नहीं माना जाता और ऐसी रस्मों को तोड़ देना ही अच्छा लगता है। हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय, जो कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल हैं और उन्हीं के बराबर आप ही के साथी हमसे तो बहुत नाराज रहते थे सुखदेव राजभर जी, मगर बहुत अच्छे चरित्र के और बहुत अच्छे अखलाक के मालिक रहे हैं (मेजों की थपथपाहट) आप दोनों का दिल की गहराइयों से स्वागत है।

[01.07] बरेली आंवला में विधायक निधि से निर्मित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क को तोड़े जाने विषयक विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, विशेषाधिकार हनन के मामले में मैंने आपको एक नोटिस दिया था। आपने कृपा करके सुनने का अवसर दिया, आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक पार्क विधायक निधि से बनवाया। विधायक निधि सरकार की होती है। मान्यवर, आपके द्वारा दी हुई होती है। सौन्दर्यीकरण के मामले पर उस पार्क को तुड़वा दिया गया जबकि मैं विधायक हूं। सौन्दर्यीकरण ही कराना था तो मैं सौन्दर्यीकरण करा देता। उसका जो बोर्ड लगा हुआ था वह भी फेंक दिया गया। क्योंकि मान्यवर, हम चुनकर आते हैं तो इसलिये आते हैं कि हमारे विशेषाधिकार सुरक्षित रखे जायं। माननीय विधायिका का सम्मान सुरक्षित हो। विशेषाधिकार माननीय विधायक के एक तरीके से तोप हुआ करती है। सबको डर हुआ करता है कि माननीय विधायक जी के पास यह विशेष अधिकार है। अध्यक्ष जी, यदि इस तरीके से विधान सभा में विधायक निधि से निर्मित, क्योंकि सरकारी चीज है, डी0एम0 ने उस पर अनुमति दी है, इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि उसकी जॉच कराकर विधिक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 2016 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 29 अगस्त, 2016 से 30 अगस्त, 2016 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

1-दिनांक 29 अगस्त, 2016 को आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 में किये गये संशोधनों पर विचार एवं पुनः पारण सम्बन्धी मदें ली जायं।

2-सदन का शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाय।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016†

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-16 कुछ नहीं है। अब मद संख्या-17।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से (उत्तर प्रदेश वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

(श्री प्रदीप कुमार माथुर के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

उस पर बात हो रही है बैठिए अभी।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

[1.12] उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 16-09-2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016†

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री शारदा प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शारदा प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर आपकी अनुज्ञा से राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 16-09-2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर आपकी अनुज्ञा से बरेली इण्टरनेशल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 16-09-2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 में प्रस्तुत संशोधनों पर विचार एवं पारण का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2016 में निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाय।

(क) खण्ड-50 के उपखण्ड (6) की छठी पंक्ति में शब्द 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से' निकाल दिया जाय।

(ख) खण्ड-53 के उपखण्ड (3) को निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2016 में संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि (क) खण्ड-50 के उपखण्ड (6) की छठी पंक्ति में शब्द ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से'' निकाल दिया जाय।

(ख) खण्ड-53 के उपखण्ड (3) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

एसोसिएशन आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ''लाभरहित'' सोसाइटी है, द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) ''विद्यापरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', ''प्रति-कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति-कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः ''कुलाधिपति'', ''प्रति-कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति-कुलपति'' से है;

(घ) ''सभा'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं;

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) ''कार्यपरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(झ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) ''संस्था/महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) ''अभिलेखों और प्रकाशनों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ण) ''विनियामक निकाय'' का तात्पर्य समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके अंतर्गत आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन, बार कौंसिल आफ इण्डिया, डिस्टैंस एजूकेशन कौंसिल, डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, नेशनल कौंसिल फार टीचर एजूकेशन, सेन्ट्रल काउंसिल फार इण्डियन मेडिसिन, फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया भी हैं;

(त) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(थ) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(द) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, उपाचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करने या शोध संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(ध) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियन्त्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(न) ''सोसाइटी'' का तात्पर्य एसोसिएशन आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, मेरठ से है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ''लाभरहित'' सोसाइटी है;

(प) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

3–(1) सोसाइटी द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा ।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4–सोसाइटी, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात्:–

(क) रुपये 10.00 करोड़ की स्थायी विन्यास निधि की स्थापना की जायेगी;

(ख) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 40 एकड़ परस्पर जुड़ी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व रखेगी;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्गमीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपयोग शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;

(घ) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम एक करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, भवन को छोड़कर, अवस्थापना सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां क्रय की जायेंगी तथा आगामी पांच वर्षों में न्यूनतम चार करोड़ रुपये मूल्य के कम्प्यूटर, फर्नीचर आस्तियां तथा अवस्थापना सुविधायें [उपरोक्त (ग) में उल्लिखित भवन को छोड़कर] तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए वचनबद्ध होगी;

(ङ) प्रत्येक विभाग या शाखा में कम से कम एक आचार्य, दो सह-आचार्य तथा पर्याप्त संख्या में आचार्य तथा सपोर्टिंग स्टाफ को नियुक्त करेगी;

(च) पुस्तकालय हेतु न्यूनतम दस लाख रुपये की पुस्तकें व पत्रिकाओं का क्रय करेगी तथा प्रथम तीन वर्षों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, नेटवर्किंग तथा अन्य पुस्तकालय सुविधाओं हेतु न्यूनतम पचास लाख रुपये का विनिधान करने की वचनबद्ध होगी;

(छ) छात्रों के लिए पाठ्यसहगामी गतिविधियां, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियां, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, खेल-कूद, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार व्यवस्था करने की वचनबद्ध होगी;

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0), अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों की पूर्ति करेगी;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करेगी;

(ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनायेगी;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य विनियामक इकाइयों के अधिनियम एवं विनियमावली के प्रावधानों से भिन्न नहीं होगी;

(ठ) विश्वविद्यालय के पारदर्शितापूर्ण संचालन हेतु विनियामक निकायों द्वारा प्राप्त अनापत्तियों को ''पब्लिक डोमेन'' में रखेगी;

(ड) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तराल पर उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों पर राज्य सरकार को सूचनाएं उपलब्ध करायेगी;

(ढ) ऐसी अन्य शर्तें पूरी करेगी जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के आरम्भ के लिए सोसाइटी को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, सोसाइटी से इस आशय का अभिलेखों सहित असंदिग्ध शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात कि धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की प्रोन्नति के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगाः–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की व्यवस्था;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता का विकास।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

7—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होगी, जिसका निर्वहन यू0जी0सी0 और राज्य सरकार द्वारा विहित दिशा-निर्देशों और मानकों के अनुसार करेगा, अर्थात्:—

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, जैवचिकित्सा विज्ञान, आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा विज्ञान, अन्य विभिन्न विज्ञान पाठ्यक्रम जो विशिष्टतः उल्लिखित नहीं हैं, नर्सिंग, पुनर्वास, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्ध, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि, फार्मेसी, प्रबन्ध, होटल एवं आतिथ्य प्रबन्ध, विधि और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं इतिहास, धर्म, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी, दर्शन शास्त्र, भाषा, शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक विज्ञान, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा आदि या समय-समय पर विद्यापरिषद् द्वारा यथा विनिश्चित इन-कैम्पस, आफ-कैम्पस, आफ-शोर कैम्पस व उपगृह केन्द्रों के माध्यम से अन्य विषय या केन्द्र संचालित करके अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों आदि, जैसा विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाय, के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं; शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहआचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद यू0जी0सी0 मानकों और राज्य सरकार की विनियमावलियों के अनुसार संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियाँ करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;

(ञ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) शोध और शिक्षा के लिए विद्यालयों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना;

(ढ) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाईयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए यू जी सी मानकों/राज्य के मानकों के अनुसार स्तर निर्धारित करना जिनके अर्न्तगत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मॉग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्वर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए सोसाइटी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यो, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना; और

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और शैक्षणिक मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा-निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

(4) कुलाधिपति द्वारा बनाई गई शैक्षणिक विशेषज्ञों की एक समिति, जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य होंगे जिसमें से दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे यूजीसी/राज्य सरकार/अन्य नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करेगी।

(5) अध्यक्ष एवं अन्य चार विशेषज्ञ सदस्य शैक्षणिक क्षेत्र से होंगे और आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे विशेषज्ञताओं में से एक में से होंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी और उसको विश्वविद्यालय की सभा में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु चर्चा के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के साथ यूजीसी/राज्य सरकार को भेजी जायेगी और सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित भी की जायेगी।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9—विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहॉ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय—समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगेः—

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रतिकुलपति;

(ङ) निदेशक/प्राचार्य,

(च) कुल सचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये।

कुलाधिपति

11—(1) सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति सोसाइटी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रतिकुलाधिपति

12—(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायेगी।

(2) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद एवं योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्य कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरूद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ आचार्य के भी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन–प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी सोसाइटी द्वारा अवधारित की जाय।

निदेशक/ प्राचार्य

15–निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाय।

कुल सचिव

16–(1) कुल–सचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18—कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगेः—

(क) सभा;

(ख) कार्यपरिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) नियोजन बोर्ड;

(च) संकाय बोर्ड,

(छ) प्रवेश समिति

(ज) परीक्षा समिति; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22—(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय—समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) परामर्श के लिए उसको निर्दिष्ट किये गये किसी प्रकरण के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्यपरिषद्

23–(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

(3) उच्च शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी, जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, कार्यपरिषद का सदस्य होगा।

विद्या परिषद

24–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी और उसका प्रयोग करेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27–संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाय, का गठन शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28–(1) कार्य परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति शक्तियाँ और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तदनुसार जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय ;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ,

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य ;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

वार्षिक रिपोर्ट

30—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात सभा को प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार, जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगी, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद के प्रेक्षण सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति द्वारा वार्षिक लेखों पर किसी संवीक्षा को सभा और कार्य परिषद की जानकरी में लाया जायेगा और कार्य परिषद् द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के पश्चात संवीक्षाएं, यदि कोई हो, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेंगी और वे पब्लिक डोमेन में रखी जायेंगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

32—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो निर्देश के दिनांक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी कुलपति के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से, तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथा स्थिति, विद्या परिषद, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियन्त्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनॉक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में यथा स्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए कुलपति को अपील कर सकता है ।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अंतिम होगा।

कर्मचारी भविष्यनिधि और पेंशन

34– विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजना या भविष्यनिधि का गठन कर सकता है, ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है, जैसा कार्य परिषद द्वारा निश्चित किया जाये।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन

36–जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को, जिनके स्थान रिक्त हुए हैं, नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किये गये अवधि की शेष अवधि के लिए यथाशक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

38–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्त या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखकों को अभिप्रमाणित करने की रीति

39–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रुप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य को रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

41–(1) विश्वविद्यालय विधि अनुसार कम से कम दस करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस निधि की मूल धनराशि से कोई धन आहरित नहीं किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42–(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ड) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44—धारा 41, 42 एंव 43 के आधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

45—विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46—विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा तथा शुल्क की संरचना को ''पब्लिक डोमेन'' में रखा जायेगा।

माँग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ

47— (1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48—(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठयक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठयक्रमों को पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49—(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय का दाायित्य ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हों तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय कि सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50— (1) यदि राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध मे कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम नहीं होगा, कारण बताए कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय के कार्यों में प्रथमदृष्टया इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंधन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात्–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निदेश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार, ऐसे समय के भीतर जिसकी अवधि दो माह से कम नहीं होगी, विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकती है कि क्यों न विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले ली जाय। यदि विश्वविद्यालय के उक्त उत्तर की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रथम–दृष्टया उल्लंघन का मामला बनता है तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी; यदि विश्वविद्यालय की निधियॉ, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51—राज्य सरकार समय—समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, ऐसा न करने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विरूद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई कर सकती है।

विघटन /मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियों/ उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52— अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आास्तियाँ और सम्पत्तियाँ, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है, तथा विश्वविद्यालय के दायित्व सोसाइटी से संबंधित हो जायेंगे।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

53—राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि, में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रुप मे हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई, जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गई है, विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 प्रस्तावित संशोधनों सहित पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 प्रस्तावित संशोधनों सहित पुनः पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[01.18] उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-23 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले मदरसों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को विनियमित करने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए।

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''विभाग'' का तात्पर्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से है ;

(ख) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य ऐसे गैर–शिक्षक कर्मचारी से है, जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता हो;

(ग) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा विहित प्रपत्र से है ;

(घ) ''संस्था'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2004 में यथापरिभाषित व राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले किसी मान्यता प्राप्त संस्था से है;

(ङ) ''मदरसा शिक्षा अधिकारी'' का तात्पर्य विभाग के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से है ;

(च) ''प्रबन्धाधिकरण'' का तात्पर्य प्रशासन योजना, यदि कोई हो, के अनुसार संघटित प्रधान समिति या संस्था के कार्यकलाप से प्रभारित अन्य निकाय से है और इसके अन्तर्गत प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति भी है जिसमें संस्था के प्रबन्ध का प्राधिकार निहित हो;

(छ) ''वेतन'' का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दरों पर उसे तत्समय देय उपलब्धियों के कुल योग से है, जिनके अन्तर्गत मंहगाई या अन्य भत्ता भी है ;

(ज) ''वेतन अनुदान'' का तात्पर्य किसी संस्था के ऐसे अनुदान से है, जिसे राज्य सरकार उस निमित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वेतन अनुदान के रूप में, जो संस्था के स्तर तक उपयुक्त हो, माने जाने के लिए निदेशित करे ;

(झ) ''अध्यापक'' का तात्पर्य किसी संस्था के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या किसी अन्य अध्यापक से है, जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता हो।

(2) इस अधिनियम में अपरिभाषित किन्तु उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, अधिनियम, 2004 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम में उनके लिए क्रमशः दिये गये हैं।

समय के भीतर, और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना, वेतन का भुगतान

3–(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का माह की अन्तिम तिथि के पश्चात् की किसी अवधि के सम्बन्ध में वेतन आगामी माह के बीसवें दिन, अथवा आगामी माह के उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा;

(2) वेतन का भुगतान बिना किसी प्रकार की कटौतियों के, सिवाय निम्नलिखित कटौतियों और उनके जो विनियमों द्वारा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हों, किया जायेगा, यथा :–

(क) सामान्य भविष्य निधि या राज्य सरकार द्वारा सूचित की गयी किसी अन्य प्रकार की भविष्य निधि योजना में अंशदान हेतु कटौती ;

(ख) सामूहिक जीवन बीमा योजना में अंशदान के भुगतान हेतु कटौती;

(ग) वेतन बचत सामूहिक योजना हेतु कटौती ;

(घ) संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आवासीय निवास के किराये की कटौती, यदि कोई हो;

(ङ) आयकर की कटौती ;

(च) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी आदेश के कारण कोई अन्य कटौती।

(3) यदि किसी संस्था के अध्यापक या अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रबन्धाधिकरण के किसी व्यतिक्रम के कारण नियत समय में न किया जाय तो मदरसा शिक्षा अधिकारी उसका भुगतान इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 5 की उपधारा (1) में उल्लिखित दिनांक से दस दिन के भीतर संस्था के कर्मचारीवृन्द के वेतन के भुगतान के प्रयोजनार्थ संगणित और अवमुक्त धनराशि से ट्रेजरी चेक/टोकन के माध्यम से यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम आहरित वेतन की दर पर और नई नियुक्ति की दशा में, उस वेतनमान के न्यूनतम दर पर जिसमें उसकी नियुक्ति की गई हो, करेगा या करायेगा और तत्पश्चात् ऐसे भुगतान के संबंध में समायोजन यथा सम्भव शीघ्र किया जायेगा।

निरीक्षण करने का अधिकार

4–(1) मदरसा शिक्षा अधिकारी किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में उसके प्रबन्धाधिकरण से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा–बही तथा वाउचर भी हैं) माँग सकता है अथवा उसके प्रबन्धाधिकरण को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए कोई निदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

(2) जब कोई निदेश किसी अध्यापक या कर्मचारी की छंटनी करने के लिए दिया जाय तो उसका अनुपालन उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 और तद्धीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

कतिपय संस्थाओं की दशा में वेतन का भुगतान करने की प्रकिया

5–(1) प्रत्येक संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ वेतन बिल तैयार करेगा जिस पर संस्था के प्रधान एवं साथ में प्रबन्धक या इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे और उक्त वेतन बिल को माह की बीसवीं तारीख तक मदरसा शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि यदि प्रबन्धाधिकरण के किसी व्यतिक्रम के कारण वेतन के वितरण में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो मदरसा शिक्षा अधिकारी संस्था के प्रधानाचार्य/प्रधान को यह अनुदेश दे सकता है कि वेतन बिल स्वयं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाय। वह ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है :

परन्तु यह और कि यदि प्रबन्धाधिकरण के विवाद के कारण वेतन भुगतान के लिए एकल संचालन अधिरोपित किया जाता है, तो संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों को अनुमन्य छुट्टियों के सम्बन्ध में छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति मदरसा शिक्षा अधिकारी में स्वतः निहित हो जायेगी।

(2) वेतन अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा जमा किये गये किसी अनुदान का प्रयोग, सिवाय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, नहीं किया जायगा, अर्थात् :–

(क) किसी अवधि के लिए देय होने वाले वेतनों का भुगतान।

(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था के अंशदान, यदि कोई हो, को जमा करना।

(ग) संस्था के प्रयोजनार्थ, ऐसे अन्य व्यय जो राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त निदेशित किये जांय।

(4) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान ई–ट्रैनज़ैक्शन के माध्यम से धनराशि के अन्तरण द्वारा किया जायेगा।

(5) किसी ऐसे स्थान के संबंध में, जहाँ कोई अनुसूचित बैंक न हो, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और इस धारा में किसी बैंक के लिये अभिदेश उस दशा में किसी डाकघर बचत बैंक के लिये अभिदेश समझे जायेंगे।

(6) मासिक वेतन बिल को सम्बन्धित माह की 20वीं तारीख तक दो प्रतियों में मदरसा शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) वेतन बिल में संस्था के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन की गणना माह की 20वीं तारीख तक की उपस्थिति के आधार पर सम्पूर्ण माह के लिए की जायेगी और यदि कोई अध्यापक या अन्य कर्मचारी उस दिनांक के पश्चात् अनुपस्थित रहता है तो उसके वेतन की धनराशि आगामी माह में उसको देय धनराशि से काट ली जायेगी।

(8) मदरसा शिक्षा अधिकारी प्रत्येक संस्था का वेतन बिल पारित करने के लिए तारीख नियत करेगा जो माह की 20वीं या 27वीं तारीख के बीच होगी और ऊपर उल्लिखित नियत तारीख को बिल पारित करने के पश्चात् बिल की एक प्रति संस्था के उस प्रतिनिधि को सौंपेगा जिसे बिल को प्राप्त करने के लिए संस्था के प्रधान द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और दूसरी प्रति को अपने कार्यालय में अभिलेख के लिए रखेगा।

(9) बिल को संस्था के प्रबन्धक और प्रधान द्वारा मदरसा शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। बिल को जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा परीक्षित एवं प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। तत्पश्चात् धनराशि सहित बिल के विवरण उक्त प्रयोजन के लिए मदरसा शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में रखे गये रजिस्टर में प्रविष्ट किये जायेंगे और बिल को सरकारी मुद्रणालय द्वारा प्रकाशित विहित प्रारूप, जिसका नाम ''सामान्य देयक'' है, पर मदरसा शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा तैयार किया जायेगा और उसे कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। उसका प्रक्रमण करने के पश्चात् कोषागार अधिकारी बिल में उल्लिखित धनराशि के लिए ट्रेजरी चेक/टोकन संस्था के नाम के साथ जारी करेगा। ट्रेजरी चेक/टोकन की धनराशि संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के खाते में ई–ट्रैनज़ैक्शन के माध्यम से जमा की जायेगी।

(10) संस्था द्वारा वेतन बिल के साथ निम्नलिखित विवरण तथा अभिलेख मदरसा शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। मदरसा शिक्षा अधिकारी अभिलेखों के मार्गस्थ रहने के दौरान उनकी सुरक्षा व तत्पश्चात् संस्था स्तर पर उनके उचित अनुरक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा :–

(क) नई नियुक्ति, पदोन्नति, निलम्बन, सेवा समापन, सेवा से हटाये जाने के संबंध में निदेशक और अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विहित विवरण, जो भुगतान के लिये पात्र किसी अध्यापक और अन्य कर्मचारी से संबंधित हों;

(ख) पूर्ववर्ती माह की 20वीं तारीख के पश्चात् माह के दौरान अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति का विवरण;

(ग) वार्षिक वृद्धि, यदि कोई हो, का विहित प्रपत्र में विवरण;

(घ) छुट्टियों का विवरण और ऐसी छुट्टियाँ संस्तुत करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां।

(ङ) पूर्व माह से सम्बन्धित बिल और वर्तमान माह के लिए प्रस्तुत किये जा रहे बिल में अन्तर, यदि कोई हो, के कारण का विवरण;

(च) वेतन बचत सामूहिक योजनाओं हेतु कटौती, यदि कोई हो, का विवरण;

(छ) सामूहिक जीवन बीमा योजनाओं हेतु कटौती, यदि कोई हो, का विवरण;

(ज) भविष्य निधि हेतु कटौतियों के ब्यौरे का विवरण, संस्था में उक्त प्रयोजन के लिए रखे गये खाता लेखा में प्रविष्टियों का विवरण;

(झ) आयकर की संगणना हेतु ब्यौरे का विवरण।

उपबन्ध तथा निदेश का प्रवर्तन

6–(1) यदि किसी की संस्था का निरीक्षण करने के आधार पर या उसके अभिलेखों के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से मदरसा शिक्षा अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि प्रबन्धाधिकरण ने उसके द्वारा या उसके उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन करने में चूक की है तो वह निदेशक से सिफारिश कर सकता है कि संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(2) मदरसा शिक्षा अधिकारी की सिफारिश प्राप्त होने पर निदेशक प्रबन्धाधिकरण को उक्त निदेश का अनुपालन करने के लिए अथवा एक सप्ताह के भीतर यह कारण बताने के लिए कह सकता है कि क्यों न अनुदान को रोक दिया जाय।

(3) यदि प्रबन्धाधिकरण उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये या निदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, तो वह आदेश द्वारा संस्था के अनुदान को रोक सकता है और सम्बन्धित मदरसा अधिकारी को धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है :

परन्तु यह कि निदेश जहाँ वह ऐसा करना आवश्यक या दृष्टकर समझे–

(एक) समय–समय पर अवधि बढ़ा सकता है किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक न हो ; या

(दो) उक्त आदेश को किसी भी समय विखंडित कर सकता है :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (दो) के किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के सम्बन्ध में कोई रुकावट न होगी। इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इससे संस्था के प्रबन्ध का कोई प्रशासनिक अधिकार मदरसा शिक्षा अधिकारी को प्राप्त होता है।

अपील

7–मदरसा शिक्षा अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबन्धाधिकरण को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर निदेशक के समक्ष की जा सकती है और निदेशक, ऐसी अग्रेतर जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, या तो स्वयं या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी या तो उस आदेश को रद्द कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक अपील का प्रवर्तन ऐसी शर्तों पर जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

अभिलेख मांगने की राज्य सरकार की शक्ति

8—राज्य सरकार निदेशक द्वारा निर्णीत किसी अपील के अभिलेख को निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश के सही होने या उसके औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और वह उसपर ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझेः

परन्तु यह कि संस्था के अनुदान को रोकने या उसकी अवधि को बढ़ाने के लिए कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय।

पद के लिए अनुमोदन

9—कोई संस्था राज्य सरकार या ऐसे अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशाक्त किया जाय, के पूर्व अनुमोदन के बिना अध्यापक या अन्य कर्मचारी के किसी नये पद का सृजन नहीं करेगी।

वेतन के सम्बन्ध में दायित्व

10—(1) राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी है (और होगी) जो 01 सितम्बर, 1989 के पश्चात् किसी अवधि के सम्बन्ध में देय हो।

(2) राज्य सरकार ऐसी धनराशि को जिसके लिए उसके द्वारा दायित्व उपगत हो, उस संस्था की या उसमें निहित सम्वत्ति की आय की कुर्की द्वारा वसूल सकती है मानों वह धनराशि संस्था द्वारा देय मालगुजारी का कोई बकाया हो।

(3) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किन्हीं ऐसे देयों के लिए संस्था के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायेगा।

दण्ड, शास्ति तथा प्रक्रिया

11—(1) यदि किसी निदेश का अथवा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाय तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो चूक की जाने के समय, प्रबन्धक था अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसमें संस्था के अध्यापक और कर्मचारी के वेतन के संदाय का प्रबन्ध और कार्य—संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह सिद्ध न कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई थी अथवा उसने ऐसी चूक की जाने को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी, उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की दशा में अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है और कोई अन्य चूक करने की दशा में कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो छः माह तक हो सकता है या अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

(2) कोई भी न्यायालय निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अन्वेषण करेगा, न वारण्ट के बिना गिरफ्तारी करेगा।

(4) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

न्यायालय की अधिकारिता पर रोक

12—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार, निदेशक, कुलसचिव या मदरसा शिक्षा अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

कतिपय संस्थाओं के सम्बन्ध में छूट

13—इस अधिनियम की कोई बात, राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित गवर्नमेन्ट ओरिण्टल कालेज (मदरसा आलिया) पर लागू न होगी।

मृत्यु अथवा अधिवर्षिता की दशा में अन्तिम माह के वेतन का आहरण

14—माह के दौरान अध्यापक या अन्य कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में, संस्था के अधिष्ठान पंजिका में, मृत्यु के दिनांक को निर्दिष्ट करते हुये आवश्यक प्रविष्टि की जायेगी और मृत्यु से सम्बन्धित सूचना को तत्काल प्रबन्धक द्वारा बैंक को और साथ में मदरसा शिक्षा अधिकारी को भी संसूचित किया जायेगा तथा उक्त माह के वेतन का आहरण उसकी मृत्यु के दिनांक की विश्वसनीय रूप से पुष्टि हो जाने और उसके प्रति देय, यदि कोई, की वसूली कर लिये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।

अध्यापक या कर्मचारी को देय धनराशि का अन्तरण

15—बैंक एडवाइस/अन्तरण पर्ची को मदरसा शिक्षा अधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और उसकी एक प्रति बैंक को प्रेषित की जायेगी एवं दूसरी प्रति संस्था को वापस कर दी जायेगी तथा तीसरी प्रति, मदरसा शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अभिलेख हेतु रख ली जायेगी।

भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक जीवन बीमा योजना के अंशदान का भुगतान

16—निदेशक अध्यापक और अन्य कर्मचारियों से सामूहिक जीवन बीमा योजना, यदि कोई हो, में उनके अंशदान के रूप में वसूली गयी कुल धनराशि के बराबर की धनराशि का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को मासिक/त्रैमासिक रूप से करायेगा।

अध्यापक और अन्य कर्मचारी द्वारा भुगतान की प्राप्ति

17—अपने वेतन की धनराशि की प्राप्ति लेने के प्रमाण के रूप में, प्रत्येक अध्यापक या अन्य कर्मचारी, संस्था में प्रत्येक माह की परिचय पंजी में हस्ताक्षर करेगा।

इस अधिनियम के उपबन्धों के समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व

18—इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व मदरसा शिक्षा अधिकारी पर ग्राह्य होगा और वह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन में प्रबन्ध द्वारा कोई व्यपगत या व्यतिक्रम नहीं किया जायेगा। मदरसा शिक्षा अधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये व्यक्तिगत रूप से यथासमय कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होगा।

बिल एवं विवरणियों की प्रस्तुति और वेतन के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की समुचित अभिरक्षा

19—वेतन बिल और बिलों में दिये गये विभिन्न विवरणों की समुचित प्रस्तुति और विभिन्न रजिस्टरों के सत्यापन, रख रखाव एवं अनुरक्षण के लिए संस्था के प्रबन्धक और प्रधान व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

सद्भावना से किये गये कार्यों के लिये संरक्षण

20—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार, निदेशक, कुलसचिव, मदरसा शिक्षा अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

कठिनाइयाँ दूर करने का अधिकार

21–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में, या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के या उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 के या तद्धीन बनाये गये विनियमों के किसी उपबन्धों का अनुकूलन या परिष्कार करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति पर नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथासम्भव शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

प्रत्यायोजन

22–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इसकी समस्त या उनमें से कोई शक्ति निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकती है।

नियम बनाने की शक्तियाँ

23–राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-23 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[01.19] उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016

लघु सिंचाई, पशुधन तथा पंचायती राज मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

(श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री दलजीत सिंह, श्री गयादीन अनुरागी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य उपस्थित नहीं हैं। मंत्री जी आप प्रस्तुत करें।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है बोलिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपने इस पर प्रस्ताव नहीं दिया है इसलिए वैसे ही अपनी बात रखिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी मैं संशोधन पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने कई बार इस सदन में कहा है कि हम लोगों को बहुमत का अत्याचार झेलना पड़ता है। जब यह सरकार आई थी उसके एक साल के बाद इसी बिल पर धारा-11, 12 उपधारा 11, 12 व 13 इस पर संशोधन किया था जब यह सरकार आई थी उस समय बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ज्यादा चुने गए थे जिला पंचायत में इन्होंने कार्यकाल घटाकर दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष कर दिया था और ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि अभी दो साल पहले यही सरकार संशोधन लाई थी और दो साल के बाद अब परिस्थिति यह आ गयी है। मान्यवर, इसी को बहुमत का अत्याचार कहते हैं और यह इस विधान सभा को बहुमत के आधार पर नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल अपने लोगों को संरक्षण प्रदान करने, उनको बचाने, उनको स्थायित्व प्रदान करने, उनको ज्यादा समय तक बरकरार रखने के लिये यह बिल इस सदन के सामने लाया गया है। मा0 मंत्री जी एक भी बार यह नहीं बता सकते कि आखिरकार कौन सी मजबूरी थी कि जब दो साल पहले आपकी ही सरकार ने संशोधन किया था, कार्यकाल आप ही ने घटाया था, उसके बहुमत का आधे से अधिक एक था अब दो बटे तिहाई बहुमत कर दिया, क्या मजबूरी थी ? उस वक्त गलत क्या था और अगर उस वक्त था तो क्या गलत था, क्योंकि उस वक्त जब यह सरकार आई थी तो इनको बहुजन समाज पार्टी के जो ज्यादातर अध्यक्ष बने थे उन लोगों को हटाना था। तो इस प्रकार से जो चुनी हुयी संस्थाओं के साथ इस प्रकार से बहुमत के आधार पर जो खिलवाड़ करते हैं, यह अपने आप में बहुत गलत है। यह गलत परम्परा को जन्म देते हैं, आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश देते हैं और पूरी विधान सभा का दुरुपयोग करते हैं। इसलिये संशोधन पर बल देते हुये मैं जरूर चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने एक लाइन नहीं कही कि आखिरकार उद्देश्य और कारण क्या था, कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सी ऐसी आवश्यकता थी कि जो दो साल पहले आपने ही थूका था अब आप खुद उसको चाट रहे हैं। आपने थूका और आप ही उसको चाट रहे हैं। मान्यवर, मैं संशोधन पर बल देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

संशोधन प्रस्तुत ही नहीं हुआ और आप अपनी बात कह रहे हैं।

(किसी मा0 सदस्य द्वारा यह कहने पर कि कांग्रेस मिली हुयी है।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कांग्रेस तो मिली हुयी है, इसमें कौन सी खास बात है। यह खासतौर से नेता सहित पहले संशोधन देते हैं, उसके बाद कोई न कोई शर्त लेकर बारगेन करते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस पर आपका संरक्षण चाहते हैं कि इस प्रकार की परम्पराओं को न पड़ने दिया जाए। यह विधान सभा को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, यह बहुमत को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं भारतीय जनता पाटी के लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें कांग्रेस की मिलीभगत नहीं है बल्कि इनकी खुद की मिलीभगत है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 पहाड़िया जी, आप बैठ जाईये।

श्री राजकिशोर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, खन्ना साहब भारतीय जनता पार्टी को बिलांग करते हैं और जिला पंचायत संशोधन पर इन्होंने अभी जिस तरीके से अपनी बात रखने का काम किया है, इनको पंचायती राज व्यवस्था पर सदन में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, देश में इनकी सरकार है। इन्होंने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को बर्बाद कर दिया है। पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर, चाहे क्षेत्र पंचायत हो चाहे जिला पंचायत हो, 14वें वित्त का पैसा जो जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को मिलता था, उस 14वें वित्त के पैसे को इन्होंने साफ कर दिया।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि अगर वह राज्य वित्त का पैसा जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को नहीं देते तो पूरी जिला पंचायतें और क्षेत्र पंचायतें समाप्त हो जातीं। मा0 अध्यक्ष जी, इनसे पूछिये, देश जब आजाद हुआ था, देश की आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय अगर कोई आदमी हुआ तो वह महात्मा गांधी हुये। सबसे लोकप्रिय आदमी महात्मा गांधी हुये। उन्होंने पंचायती राज की व्यवस्था की थी और जब इनके प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा प्रचण्ड बहुमत से देश में सरकार बनाई तो सबसे पहले इन्होंने महात्मा गांधी के उन सपनों को रौंद दिया। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी इस सदन में बैठे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने राज्य वित्त से जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को बचा लिया, नहीं तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतें और क्षेत्र पंचायतें समाप्त हो जातीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बिल आया तो बिल के ऊपर बोलें। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि कार्यकाल एक साल के बजाय दो साल करने जा रहे हैं। कौन सी मजबूरी थी कि साधारण बहुमत के बजाय दो बटे

तीन करने जा रहे हैं। यह राजनैतिक बेईमानी है, बहुमत का अत्याचार है। इसलिये हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(तत्पश्चात् श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के मा0 सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 1961 की धारा-15 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-15 में,-

(क) उपधारा (11) में शब्द ''आधे से अधिक'' के स्थान पर शब्द ''कम से कम दो तिहाई के'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (12) में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (13) में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे;

धारा-28 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-28 में,-

(क) उपधारा (11) में शब्द ''आधे से अधिक'' के स्थान पर शब्द ''कम से कम दो तिहाई'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (12) में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (13) में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे;

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि इस पर संशोधन का प्रस्ताव रखा नहीं गया है, इसलिए इस पर प्रश्न रखने का कोई सवाल नहीं है।

श्री राज किशोर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 27 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 29 अगस्त, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 183 विधान सभा (301) 01-12-2016-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।